

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2024/120872/MRT/MEERUT/2448/CFO**

दिनांक: **12-06-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **M S ARIES INFRAVENTURES PVT. LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **kh.No- 60,Vill-Kajipur,Meerut** तहसील - **Meerut Sadar** प्लाट एरिया **14426.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **64465.78** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Imperial Courtyard T1	13	1	38.70 mt.
Imperial Courtyard T2	13	0	38.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **M S ARIES INFRAVENTURES PVT. LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **M S ARIES INFRAVENTURES PVT. LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन का निर्माण व भवन में अग्निशमन व्यवस्था एनबीसी-2016 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि मानकों के अनुसार कराया जाना वाँछनीय होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR RAI)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **22-06-2024**
स्थान : **MEERUT**

[F22C5B5172120F3EA70F31DBACD3985B1170490E]

22-06-2024